NGO DARPAN USER ID

JAGRUKTA NARI SHAKTIMAN UTTHAN SEVA SANSTHAN

USER ID: ikbalahamadbelghat@gmail.com

Password: Basti@2009

UNIQUE ID: UP/2020/0270276

PAN: AAGAJ1930P

MOB. 8299893617

nal UTTAR PRADESH

ional UTTAR PRADESH->Siddharthnagar, Basti, Sant Kabir Nagar

l

A details

A lable	FCRA Registration no.
ailable	Not Available

tails of Achievements

LATH, EDUCATION, WOMEN EMPOWEREMNT, MINIROTY ISSUES, VIRONMENTAL ACTIVITIES ETC

ource of Funds

epartment lame	Source	Finacial Year	Amount Sanctioned	Purpose
N pecified	Any Other	2017-2018	Not Specified	NO GRANT RECEIVED YET
Not Specified	Any Other	2018-2019	Not Specified	NO GRANT RECEIVED YET
Not Specified	Any Other	2019-2020	Not Specified	NO GRANT RECEIVED YET
Not Specified	Any Other	2020-2021	Not Specified	NO GRANT RECEIVED YET

Contact Details

Address	VILL AND PO BELGHAT DISTT BASTI

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AE 595856

जनरल स्टाम्प पेपर जागरूकता नारी शक्तिमान उत्थान सेवा संस्थान ग्राम व पो० बलघाट बाजार

जिला बस्ती ... नं० ... एफ-4337

प्रबन्ध समिति के साथ संलग्न है।

की सूची वर्ष-2020-21

कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश गोरखपुर

जागरूकता नारी शक्तिमान उत्थान सेवा संस्थान
अध्यक्ष
इकबाल महबूब
बलघाट बाजार-बस्ती, उ०प्र०

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)
16-9-2020

	BASTI
State	UTTAR PRADESH
Telephone	Not Available
Mobile No	8299893617
Website Url	Not Available
E-mail	ikbalahamadbelghat(at)gmail[dot]com

नियमावली

1- संस्था का नाम : जागरूकता नारी शक्तिमान उत्थान सेवा संस्थान

2- संस्था का पता : ग्राम व पोस्ट –बेलघाट बाजार, जिला–बस्ती।

3- संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4- संस्था की सदस्यता : इस संस्था में आजीवन, विशिष्ट, सामान्य एवं संरक्षक आदि सदस्य होगे जो निम्न प्रकार से होगें:–

आजीवन सदस्य : जो सदस्य संस्था को स्थापित करने का भार लेगें संस्था के आजीवन सदस्य होगें। सदस्यता शुल्क 10000/– होगी।

विशिष्ट सदस्य : केवल वार्षिक चन्दा देने वाले ही विशिष्ट सदस्य के रूप में मान्य होगें जिनकी सदस्यता शुल्क 1000/– होगी।

सामान्य सदस्य : सामान्य सदस्य का प्रवेश शुल्क 20/– तथा प्रतिमाह सदस्यता शुल्क 5 रू० होगा।

संरक्षक सदस्य : संस्था को जो व्यक्ति पालन पोषण करेगें और उसका भार तन, मन, धन से उठायेगें। संस्था के संरक्षक होगे।

5- सदस्यता : इस संस्था की सदस्यता के लिए निम्न योग्यतायें होना आवश्यक हैं:–

1– वह भारत का नागरिक हो।

2– उसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो।

3– वह मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से योग्य हो।

4– वह देश समाज के हित में आस्था रखता हो।

5– संस्था के नियमों, उददेश्यों में अपनी पूर्ण आस्था रखता हो।

6– सदस्यता के किसी वर्ग में प्रवेश से पूर्व सम्बन्धित सदस्य की क्षमता योग्यता सहयोग की स्थिति का आंकन प्र०का०का०स० द्वारा किया जायेगा।

6- सदस्यता की समाप्ति : कोई भी सदस्यता निम्न स्थितियों में संस्था का सदस्य नही रहेगा:–

1– उसकी मृत्यु होने पर

2– मानसिक विकृति हो जाने पर या पागलपन के कारण।

पन्नालाल पटेल

रूपतारा देवी

नाजमा खातून

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

जागरूकता नारी शक्तिमान उत्थान सेवा संस्थान ग्राम व पोस्ट बेलघाट बाजार जनपद बस्ती की प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष 2020–21

क्र0स0	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री इकबाल अहमद पुत्र श्री अब्दुल रज्जाक	ग्रा0 व पो0 बेलघाट बाजार वि0ख0 गौर जनपद बस्ती	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	श्री मो0 इसराईल पुत्र श्री बताने	उपरोक्त	उपाध्यक्ष	,,
3.	श्रीमती नजमा खातून पत्नी श्री नियाज अहमद	उपरोक्त	सचिव	गृहणी
4.	श्री अशफाक हुसैन पुत्र श्री इल्ताफ हुसैन	उपरोक्त	उपसचिव	,,
5.	श्रीमती जैबुन निशा पत्नी श्री इकबाल अहमद	उपरोक्त	कोषाध्यक्ष	,,
6.	श्रीमती सकीला बानो पत्नी मु0 बर्सीफ	ग्रा0 सलेगवा पो0 हल्लौर जनपद बस्ती	सदस्य	,,
7.	श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री कादिर	ग्रा0 व पो0 बेलघाट जनपद बस्ती	सदस्य	कृषि
8.	श्रीमती हमिद्दन पत्नी श्री मोहम्मद उमर	उपरोक्त	सदस्य	गृहणी
9.	श्रीमती आशिया खातून पत्नी श्री इल्ताफ हुसैन	उपरोक्त	सदस्य	,,
10.	श्री अकबर अली पुत्र श्री उस्मान	ग्रा0 पाकडंडाड पो0 महसो जनपद बस्ती	सदस्य	,,
11.	श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री कन्हैयालाल	ग्रा0 व पो0 बेलघाट बस्ती	सदस्य	,,
12.	श्रीमती हसीना खातून पत्नी श्री अब्दुल कलाम	उपरोक्त	सदस्य	,,

कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश गोरखपुर सत्यमेव जयते

जागरूकता नारी शक्तिमान उत्थान सेवा संस्थान बेलघाट बाजार बस्ती — अध्यक्ष इकबाल अहमद

सत्य – प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ0 प्र0 गोरखपुर

मो इसराइल
जैबुन निशा

प्रतिलिपि कर्ता.......
मिलान कर्ता...

3– संस्था का निर्धारित शुल्क लगातार तीन बार तक न देने पर।

4– स्वेच्छा से त्याग पत्र देने पर।

5– संस्था के हितों के विरूद्ध कार्य करने पर।

संस्था के अंग : संस्था के मूल्यतः दो अंग होगें:–

अ– साधारण सभा।

ब– प्रबन्धकारिणी समिति।

अ– गठन : संस्था की साधारण सभा होगी। तमाम सदस्य मिलकर आम सभा का गठन करेगें। संस्था के सदस्य ही प्रबन्ध समितियों के सदस्यों का गठन करेगें।

ब– बैठकें : साधारण सभा की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी। जिसमें संस्था का वार्षिक बजट रखा जायेगा तथा संस्था के अन्य बातों पर विचार किया जायेगा। साधारण सभा की बैठक आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाई जा सकती है।

स– सूचना अवधि : साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 10 दिन बाद दी जायेगी

द– गणपूर्ति : साधारण सभा की गणपूर्ति उसके सदस्यों की संख्या का इक्यावन प्रतिशत होगी। दो बार स्थगित हो चुकी आम सभा के लिए गणपूर्ति नियम लागू नही होगें।

य– साधारण सभा के कर्तव्य : साधारण सभा के निम्न कर्तव्य होगें:–

1– संस्था की भलाई के लिए सदस्य संख्या बढ़ाना।

2– अपने स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संस्था की सदस्यता संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास करना।

3– संस्था के लिए धन और जन का सहयोग एकत्रित करना।

4– प्रबन्धकारिणी समिति सदस्यों का चयन करना।

5– प्रबन्धकारिणी समिति को सहयोग देना।

6– आय व्यय पर विचार करना।

7– संस्था के लिए नियम, उपनियम आदि का निर्माण करना।

पन्नालाल पटेल

रूपतारा देवी

अं· नि·

नाजमा खातून

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर

5– संस्था के हित में धन व्यय करना तथा अपने पास व्यय के लिए संस्था का अधिक से अधिक 1000/– रूपये तक रखना।

6– आपात स्थितियों में जबकि बैठक न बुलाई जा सके तो सचिव की सलाह से यदि बहुत आवश्यकता है, तो स्वयं कोई भी कार्य संस्था के हित में करना।

7– ऐसे अन्य अधिकारों का उपयोग करना और अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो इस संस्था के हित में हो।

8– संस्था के लिए चन्दा या धन या सम्पत्ति चल या अचल संस्था के नाम पर ग्रहण करना जो संस्था के हित के लिए हो।

उपाध्यक्ष : क– अध्यक्ष की अनुमति में या उसके अपने कर्तव्यों का पलान करने में असमर्थ होने पर अध्यक्ष के रूप में कार्य करना।

ख– ऐसे समस्त अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करना जो अध्यक्ष द्वारा उसके लिखित रूप में सौपे गये हो।

ग– अन्य कोई भी कार्य स्वविवेक से करना जो संस्था, समाज देश हित में हो, कर सकता है।

सचिव : 1– संस्था के लिए किसी भी प्रकार का धन चन्दा सम्पत्ति आदि एकत्र करना।

2– समिति के सिद्धान्तो के अधीन रहते हुए संस्था के हित में कार्य करना।

3– बजट में की गयी व्यवस्था के अनुसार वित्त पर नियंत्रण करना।

4– बैठक की समस्त कार्यवाही लिखना एवं उसकी संचालन करना।

5– विश्व शान्ति विकास संस्थान के विस्तार एवं लाभार्थ हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयो, पदाधिकारियों आदि से पत्र व्यवहार करना।

6– प्र0का0का0स0 एवं साधारण सभा के सचिव के रूप में सभी कार्य करना।

Lonaiml अरुणय
पन्नालाल पटेल
श्याम लाल
रुपतारा देवी

अति. [redacted] नाजमा खातून

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर

जागरूकता नारी शक्तिमान उत्थान सेवा संस्थान ग्राम व पोस्ट बेलघाट बाजार जनपद बस्ती की प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष 2020–21

क0स0	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री इकबाल अहमद पुत्र श्री अब्दुल रज्जाक	ग्रा0 व पो0 बेलघाट बाजार वि0ख0 गौर जनपद बस्ती	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	श्री मो0 इसराईल पुत्र श्री बताने	उपरोक्त	उपाध्यक्ष	,,
3.	श्रीमती नजमा खातून पत्नी श्री नियाज अहमद	उपरोक्त	सचिव	गृहणी
4.	श्री अशफाक हुसैन पुत्र श्री इल्ताफ हुसैन	उपरोक्त	उपसचिव	,,
5.	श्रीमती जैबुन निशा पत्नी श्री इकबाल अहमद	उपरोक्त	कोषाध्यक्ष	,,
6.	श्रीमती सकीला बानो पत्नी मु0 बसीफ	ग्रा0 सहेगवा पो0 हतलौर जनपद बस्ती	सदस्य	,,
7.	श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री कादिर	ग्रा0 व पो0 बेलघाट जनपद बस्ती	सदस्य	कृषि
8.	श्रीमती हमिद्दन पत्नी श्री मोहम्मद उमर	उपरोक्त	सदस्य	गृहणी
9.	श्रीमती आशिया खातून पत्नी श्री इल्ताफ हुसैन	उपरोक्त	सदस्य	,,
10.	श्री अकबर अली पुत्र श्री उस्मान	ग्रा0 पाकडंडाड पो0 महसो जनपद बस्ती	सदस्य	,,
11.	श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री कन्हैयालाल	ग्रा0 व पो0 बेलघाट बस्ती	सदस्य	,,
12.	श्रीमती हसीना खातून पत्नी श्री अब्दुल कलाम	उपरोक्त	सदस्य	,,

कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश गोरखपुर सत्यमेव जयते

सत्य – प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर

मो इसराइल
जैबुननिशा

प्रतिलिपि कर्ता...
मिलान कर्ता...

(8)

4— कैश बुकः—

आय व्यय चन्दा, धन आदि का विवरण दिनवार, माहवार कैश बुक में अंकित होगा।

5— इसके अतिरिक्त संस्था के लाभार्थ अन्य रजिस्टर या फाइल समय परिस्थिति के अनुसार खोली जा सकती है। जिसका क्रमांक या विवरण स्टाक रजिस्टर में होगा।

- संस्था के नियमो व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया : संस्था के नियमों—विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा द्वारा दो तिहाई बहुमत से की जायेगी।

- संस्था का कोष : (क) संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक अथवा डाकघर में रखा जायेगा जिसका संचालन संस्था के सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

(ख) प्रबन्धकारिणी समिति की सर्वसम्मति से सचिव अथवा कोषाध्यक्ष में से किसी एक के तन्हा हस्ताक्षर से भी कोष का संचालन किया जा सकेगा।

3- कानूनी कार्यवाही : संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाही सचिव के द्वारा की जायेगी।

4- संस्था के आय--व्यय का लेखा परीक्षण : संस्था के आय व्यय का वार्षिक आडिट मनोनीत सदस्य अथवा सी०ए० द्वारा कराया जायेगा। जोकि पहली अप्रैल से इकतीश मार्च तक का होगा।

5- विघटन : संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 13 व 14 के अनुसार की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि — प्रतिलिपि

04.2.10

सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स गोरखपुर

दिनांक 11/4/08

04.2.10

पन्नालाल पटेल

श्याम लाल

रूपतारा देवी

सत्य प्रतिलिपि

प्रतिलिपि कर्ता

मिलान कर्ता

04.2.10

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 11AE 595856

जनरल स्टाम्प पेपर ग्रामस्वराज्य भारी शक्तिमान उत्थान सेवा संस्थान ग्राम व पो० बेलघाट बाजार जिला बस्ती फाइल नं० जी-4337 के साथ संलग्न है। प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष-2020-21

कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश गोरखपुर

सत्यमेव जयते

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)
16.9.2020

जागरूकता नारी शक्तिमान उत्थान सेवा संस्थान ग्राम व पोस्ट बेलघाट बाजार जनपद बस्ती की प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष 2020–21

क0स0	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री इकबाल अहमद पुत्र श्री अब्दुल रज्जाक	ग्रा0 व पो0 बेलघाट बाजार वि0ख0 गौर जनपद बस्ती	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	श्री मो0 इसराईल पुत्र श्री बताने	उपरोक्त	उपाध्यक्ष	,,
3.	श्रीमती नजमा खातून पत्नी श्री नियाज अहमद	उपरोक्त	सचिव	गृहणी
4.	श्री अशफाक हुसैन पुत्र श्री इल्ताफ हुसैन	उपरोक्त	उपसचिव	,,
5.	श्रीमती जैबुन निशा पत्नी श्री इकबाल अहमद	उपरोक्त	कोषाध्यक्ष	,,
6.	श्रीमती सकीला बानो पत्नी मु0 बर्सीफ	ग्रा0 सरैगावा पो0 हरैलौर जनपद बस्ती	सदस्य	,,
7.	श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री कादिर	ग्रा0 व पो0 बेलघाट जनपद बस्ती	सदस्य	कृषि
8.	श्रीमती हमिद्दन पत्नी श्री मोहम्मद उमर	उपरोक्त	सदस्य	गृहणी
9.	श्रीमती आशिया खातून पत्नी श्री इल्ताफ हुसैन	उपरोक्त	सदस्य	,,
10.	श्री अकबर अली पुत्र श्री उस्मान	ग्रा0 पाकडंडाड पो0 महसो जनपद बस्ती	सदस्य	,,
11.	श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री कन्हैयालाल	ग्रा0 व पो0 बेलघाट बस्ती	सदस्य	,,
12.	श्रीमती हसीना खातून पत्नी श्री अब्दुल कलाम	उपरोक्त	सदस्य	,,

कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज चिट्स उत्तर प्रदेश गोरखपुर सत्यमेव जयते

सत्य – प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ0 प्र0 गोरखपुर

मो इसराइल

जैबुननिशा

प्रतिलिपि कर्ता...
मिलान कर्ता...

(2)

3– संस्था का निश्चित शुल्क लगातार तीन बार तक न देने पर।

4– स्वेच्छा से त्याग पत्र देने पर।

5– संस्था के हितों के विरूद्ध कार्य करने पर।

7- संस्था के अंग : संस्था के मूल्यतः दो अंग होगें:–

अ– साधारण सभा।

ब– प्रबन्धकारिणी समिति।

अ– गठन : संस्था की साधारण सभा होगी। तमाम सदस्य मिलकर आम सभा का गठन करेगें। संस्था के सदस्य ही प्रबन्ध समितियों के सदस्यों का गठन करेगें।

ब– बैठकें : साधारण सभा की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी। जिसमें संस्था का वार्षिक बजट रखा जायेगा तथा संस्था के अन्य बातों पर विचार किया जायेगा। साधारण सभा की बैठक आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाई जा सकती है।

स– सूचना अवधि : साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 10 दिन बाद दी जायेगी

द– गणपूर्ति : साधारण सभा की गणपूर्ति उसके सदस्यों की संख्या का इक्यावन प्रतिशत होगी। दो बार स्थगित हो चुकी आम सभा के लिए गणपूर्ति नियम लागू नही होगें।

य– साधारण सभा के कर्तव्य : साधारण सभा के निम्न कर्तव्य होगें:–

1– संस्था की भलाई के लिए सदस्य संख्या बढ़ाना।

2– अपने स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संस्था की सदस्यता संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास करना।

3– संस्था के लिए धन और जन का सहयोग एकत्रित करना।

4– प्रबन्धकारिणी समिति सदस्यों का चयन करना।

5– प्रबन्धकारिणी समिति को सहयोग देना।

6– आय व्यय पर विचार करना।

7– संस्था के लिए नियम, उपनियम आदि का निर्माण करना।

पन्नालाल पटेल

श्यामलाल

रूपतारा देवी

अ० नि० नाजमा खातून

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

नियमावली

1- संस्था का नाम : जागरूकता नारी शक्तिमान उत्थान सेवा संस्थान

2- संस्था का पता : ग्राम व पोस्ट –बेलघाट बाजार, जिला–बस्ती।

3- संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4- संस्था की सदस्यता : इस संस्था में आजीवन, विशिष्ट, सामान्य एवं संरक्षक आदि सदस्य होंगे जो निम्न प्रकार से होंगें:–

आजीवन सदस्य : जो सदस्य संस्था को स्थापित करने का भार लेंगें संस्था के आजीवन सदस्य होगें। सदस्यता शुल्क 10000/– होगी।

विशिष्ट सदस्य : केवल वार्षिक चन्दा देने वाले ही विशिष्ट सदस्य के रूप में मान्य होगें जिनकी सदस्यता शुल्क 1000/– होगी।

सामान्य सदस्य : सामान्य सदस्य का प्रवेश शुल्क 20/– तथा प्रतिमाह सदस्यता शुल्क 5 रू० होगा।

संरक्षक सदस्य : संस्था को जो व्यक्ति पालन पोषण करेंगें और उसका भार तन, मन, धन से उठायेगें। संस्था के संरक्षक होगें।

5- सदस्यता : इस संस्था की सदस्यता के लिए निम्न योग्यतायें होना आवश्यक हैं:–

1– वह भारत का नागरिक हो।

2– उसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो।

3– वह मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से योग्य हो।

4– वह देश समाज के हित में आस्था रखता हो।

5– संस्था के नियमों, उददेश्यों में अपनी पूर्ण आस्था रखता हो।

6– सदस्यता के किसी वर्ग में प्रवेश से पूर्व सम्बन्धित सदस्य की क्षमता योग्यता सहयोग की स्थिति का आंकन प्र०का०का०स० द्वारा किया जायेगा।

Janardan Singh
पन्नालाल पटेल
Shyam Lal
रूपतारा देवी

6- सदस्यता की समाप्ति : कोई भी सदस्यता निम्न स्थितियों में संस्था का सदस्य नही रहेगा:–

1– उसकी मृत्यु होने पर

2– मानसिक विकृति हो जाने पर या पागलपन के कारण।

अ०नि० नाजमा खातून

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

5– संस्था के हित में धन व्यय करना तथा अपने पास ाय के लिए संस्था का अधिक से अधिक 1000/– रूपये तक रखना।

6– आपात स्थितियों में जबकि बैठक न बुलाई जा सके तो शचिव की सलाह से यदि बहुत आवश्यकता है तो स्वयं कोई भी कार्य संस्था के हित में करना।

7– ऐसे अन्य अधिकारों का उपयोग करना और अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो इस संस्था के हित में हो।

8– संस्था के लिए चन्दा या धन या सम्पत्ति चल या अचल संस्था के नाम पर ग्रहण करना जो संस्था के हित के लिए हो।

उपाध्यक्ष : क– अध्यक्ष की अनुमति में या उसके अपने कर्तव्यों का पत्तान करने में असमर्थ होने पर अध्यक्ष के रूप में कार्य करना।

ख– ऐसे समस्त अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करना जो अध्यक्ष द्वारा उसके लिखित रूप में सौपे गये हो।

ग– अन्य कोई भी कार्य स्वविवेक से करना जो संस्था, समाज देश हित में हो, कर सकता है।

सचिव : 1– संस्था के लिए किसी भी प्रकार का धन चन्दा सम्पत्ति आदि एकत्र करना।

2– समिति के सिद्धान्तो के अधीन रहते हुए संस्था के हित में कार्य करना।

3– बजट में की गयी व्यवस्था के अनुसार वित्त पर नियंत्रण करना।

4– बैठक की समस्त कार्यवाही लिखना एवं उसकी संचालन करना।

5– विश्व शान्ति विकास संस्थान के विस्तार एवं लाभार्थ हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयो, पदाधिकारियों आदि से पत्र व्यवहार करना।

6– प्र0का0का0स0 एवं साधारण सभा के सचिव के रूप में सभी कार्य करना।

पन्नालाल पटेल

श्याम [illegible]

रूपतारा देवी

अं.नि. शाजमा खातून

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर

5- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों के नाम, पता, पद तथा व्यवसाय जिनको एक नियमानुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है।

क्र0सं0	नाम व पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री इकबाल अहमद पुत्र श्री अब्दुल रज्जाक	ग्राम व पो0 बेलघाट बाजार वि0खण्ड गौर जनपद बस्ती	अध्यक्ष	समाज सेवक
2.	श्री श्याम लाल पुत्र बताने	ग्राम बैदोलिया अजायब पो0 बेलघाट जिला बस्ती।	उपाध्यक्ष	"
3.	श्री पन्ना लाल पुत्र श्री रामकुमार	ग्राम व पो0 बेलघाट बाजार वि0खण्ड गौर जनपद बस्ती	सचिव	समाज सेवक
4.	श्रीमती नाजमा खातून पत्नी श्री नियाज अहमद	" " " "	उपसचिव	गृहणी
5.	श्रीमती रूपतारा पत्नी राम प्रसाद	" " " "	कोषाध्यक्ष	गृहणी
6.	मो0 इसराईल पुत्र श्री अब्दुल रज्जाक	" " " "	सदस्य	व्यापार
7.	श्री सुरेन्द्र कुमार (2) पुत्र श्री राम कुमार	" " " "	सदस्य	कृषि
8.	श्रीमती इमिददननिशा पत्नी श्री मोहम्मद उमर	" " " "	सदस्य	गृहणी
9.	श्रीमती आशिया खातून पत्नी श्री इलताफ हुसेन	" " " "	सदस्य	गृहणी
10.	श्रीमती जैबुल निशा पत्नी श्री इकबाल अहमद	" " " "	सदस्य	गृहणी
11.	कमलादेवी (1) पुत्री श्री रामकुमार	" " " "	सदस्य	गृहणी
12.	श्रीमती निर्मला देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार	" " " "	सदस्य	गृहणी

(मुहर: कार्यालय सहायक निबन्धक समितियां उत्तर प्रदेश, गोरखपुर)

इकबाल अहमद
प्रतिलिपि इसराईल
रूपतारा देवी
पन्नालाल पटेल
सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स गोरखपुर
सुरेन्द्र कुमार
श्यामलाल
कमला देवी
उर्मिला देवी
प्रतिलिपि कर्ता
निशानी अंगूठा नाजमा खातून
अंगूठा इमिददननिशा
अंगूठा जैबुल निशा
आशिया खातून

कमाल अहमद

पन्नालाल पटेल

सुरेन्द्र कुमार

उर्मिला देवी

श्यामलाल

मो इस्राईल

रूपतारा देवी

कमला देवी

अ० नि० नाजिमा खातून

अ० नि० हमिदुन्निशा

अ०नि० जैबुन्निशा

अ०नि० आनीशा खातून

16-- युवाओ के सर्वागीण विकास हेतु क्रीडा संकुल, क्रीडा विद्यालय उन्मुक्त क्रीडा प्रशिक्षण केन्द्रों /शिविरों की स्थापना सहित बहुआयामी क्रीडागनों के निर्माण हेतु कार्य करना।

17- नगर विकास के अन्तर्गत मलिन बस्तियों में क्रूडा द्वारा संचालित समस्त गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु कार्य करना।

18- समाज के निर्बल एवं बेरोजगार लोगो के उत्थान हेतु उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्य करना।

19- ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र मे किये जा रहे कार्यो का प्रचार प्रसार करना।

20- ~~विद्युत निगम द्वारा स्वयं संस्थाओं से ली जाने वाली सेवाओं में प्रतिभाग करना।~~

21- सौर ऊर्जा के प्रचार प्रसार हेतु कार्य करना।

22-- बायो गैस के प्रचार प्रसार हेतु कार्य करना।

23-- खनन से होने वाली हानियों के बारे में जन जागरूक करने हेतु प्रचार प्रसार करना।

24-- पशुपालन के प्रचार प्रसार, टीकाकारण, पशु स्वास्थ्य संवर्धन, पशु मेला नई नस्लो के पशुओं के बारे में जन सामान्य को जानकारी देने हेत कार्य करना।

25- ग्रामीण ~~अविवासीय~~ व्यवस्था हेतु कार्य नियमान्तर्गत करना।

26-- नगरीय आवासीय व्यवस्था हेतु कार्य नियमान्तर्गत करना।

27-- कम लागत के भवन निर्माण हेतु प्रचार प्रसार प्रशिक्षण पर्यवेक्षण निर्माण मूल्यांकन का कार्य करना।

28-- स्वच्छता कार्यक्रमों से जुडे परिवारो का चिकित्सीय परीक्षण एवं बहुआयमी विकास हेतु कार्य करना।

29- बाल विकास के क्षेत्र में बच्चो के सर्वागीण विकास हेतु ग्राम, वार्ड, ब्लाक, तहसील, जिला स्तर पर बाल संरचना केन्द्रो कील स्थापना कर इसके अन्तर्गत विद्यालय बाल पुस्तकालय, बाल सभा एवं विभिन्न बाल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

स्मृति–पत्र

1- संस्था का नाम : जागरूकता नारी शक्तिगान उत्थान सेवा संस्थान

2- संस्था का पूरा पता : ग्राम व पोस्ट –बेलघाट बाजार, जिला–बस्ती।

3- संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4- संस्था के मुख्य उद्देश्य : संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होगें:–

1– साक्षरता अभियान के विविध पक्षो जैसे साक्षरता, उत्तर साक्षरता, सतत शिक्षा, साक्षरता केन्द्रों का संचालन पठन–पाठन प्रशिक्षण, वातावरण निर्माण, अनुश्रवण, मूल्यांकन हेतु स्त्रोत केन्द्र (संसाधन केन्द्र) की स्थापना करेगा।

2– भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित मानक अनुरूप जिला साक्षरता समितियों के द्वारा संचालित साक्षरता, उत्तर साक्षरता, सतत शिक्षा कार्यक्रम के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण व मूल्यांकन का कार्य भी करना।

3– गीत, नाटक, कविता, कहानी, गद्य के विविध क्षेत्रों जैसे बाल, युवा, महिला, पुरूषो के लिए सृजनशील साहित्य का संकलन कर प्रचार प्रसार करना।

4– स्वास्थ्य के क्षेत्र में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण महाभियान, टी०बी०, कुष्ठ, एडस जैसे रोगो के प्रति लोगो को जागरूक करते हुए टीकाकरण के महत्व को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करना।

5– कृषि कार्य, कृषि विकास, वर्मीकल्चर, दलहन, तिलहन, बायो डीजल, उन्नत कृषि संयत्रों, उन्नत बीजो के प्रचार प्रसार सहित विविध पक्षो पर कार्य करना।

6– प्रदेश सरकार, भारत सरकार एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कृषि के क्षेत्र में ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जनपद मण्डल प्रदेश एवं देश के संचालित हर तरह की विकासोन्मुखी गतिविधियों, कार्यक्रमों केन्द्रो का संचालन करना।

7– गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों हेतु संचालित समस्त विकास की गतिविधियों के क्रियान्वयन का कार्य नियमानुसार करना।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

8- प्रबन्धकारिणी समिति

अ– गठनः– : प्रबन्धकारिणी समिति का गठन निम्न प्रकार होगा:–

1– अध्यक्ष	एक
2– उपाध्यक्ष	एक
3– सचिव	एक
4– उपसचिव	एक
5– कोषाध्यक्ष	एक
6– सदस्यगण	एक

ब– बैठकें– : संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक सामन्यतः (3 माह में बैठक होगी।) आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाई जायेगी।

स– सूचना अवधि : प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की सूचना प्रत्येक सदस्य तक पहुंचाने के लिए कम से कम तीन दिन का समय अवश्य दिया जायेगा। विशेष परिस्थितियों मे एक दिन पहले भी सूचना दी जा सकती है।

द– गणपूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति के गणपूर्ति के लिए दो तिहाई सदस्य होगें।

य– रिक्त स्थानों की पूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्य या पदाधिकारी की रिक्ति किसी कारण से मृत्यु बाहर जाने पर पद त्याग करने पर या निकालने या अन्य किसी कारण से होने पर प्रबन्धकारिणी समिति नये सदस्य का चुनाव कम से कम एक माह में कर लेगी।

कार्यालय सहायक निबंधक समितियां [illegible] गोरखपुर

र– कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा

ल– प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य : प्रबन्धकारिणी समिति के निम्न कर्तव्य होगें:–

1– संस्था के विकास के लिए योजनायें बनाना व सतत प्रयास करना।

2– कार्यकारिणी की आम सहमति से रिक्त स्थान की पूर्ति करना।

3– समिति में जमा किया गया कोई भी सदस्यता शुल्क या चन्दा वापिस नही किया जायेगा!

पन्नालाल पटेल

श्याम लाल

9- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य

अध्यक्ष : 1– समिति की बैठको की अध्यक्षता करना।

2– बैठको को करने के लिए दिनांक का अनुमोदन/प्रदान करना, परिवर्तन करना तथा अन्य लेखों पर हस्ताक्षर करना।

रूपतारा देवी

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
[illegible] गोरखपुर

अंकि: नाजमा खातून

7- संस्था के हितार्थ समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना।

8- प्रत्येक स्तर के स्थानीय संयोजकों के मनोनयन, मानदेय का निर्धारण करना।

9- किसी भी स्तर के मनोनीत पदाधिकारी के दायित्व का निर्धारण करना साथ ही साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही वादो को देखना।

10- संस्था के समस्त अभिलेखों को संस्था के हितार्थ सुरक्षित रखना।

उपसचिव : 1- सचिव की अनुपस्थिति में या उसके कर्तव्यों का पालन करना।

2- ऐसे समस्त अधिकारों का प्रयोग करना तथा कर्तव्यों का पालन करना जो सचिव द्वारा लिखित हो या सौंपे गये हो।

कोषाध्यक्ष : 1- प्रबन्ध समिति के सचिव के साथ संयुक्त रूप से संस्था के लेखों का संचालन करना।

2- प्राधिकृत व्यय के लिए भुगतान की जाने वाली धनराशियों की सिफारिश अध्यक्ष व सचिव से करना।

3- समस्त आय व्यय का वार्षिक विवरण तैयार करना।

10- संस्था के अभिलेख : 1- सदस्यता रजिस्टरः–

इसके अन्तर्गत साधारण सभा सदस्य, कार्यकारिणी आदि का ब्यौरा होगा।

2- कार्यवाही रजिस्टरः–

प्रबन्धकारिणी समिति व साधारण सभा की समस्त बैठको की कार्यवाही अंकित होगी।

3- स्टाक रजिस्टरः–

इस रजिस्टर में समस्त संस्था रजिस्टर, संस्था सामग्री, फर्नीचर आदि का ब्यौरा होगा व संस्था में आने वाली प्रत्येक सामग्री का विवरण स्टाक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा।

पन्नालाल पटेल

श्याम लाल

रूपतारा देवी

अनि. नाजमा खातून

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

तरह की विकासोन्मुखी गतिविधियों, कार्यक्रमों केन्द्रो का प्रचार करना।

7. गरीबी रेखा के नीचे के लाभार्थियों हेतु संचालित समस्त विकास की गतिविधियों के क्रियान्वयन का कार्य नियमानुसार करना।

8. सूचना प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों जैसे कम्प्यूटर साक्षरता, इन्टरनेट, ई-मूल समेत अन्य तकनीकियों के प्रचार-प्रसार प्रशिक्षण हेतु कार्य करना।

9. योग के प्रचार-प्रसार हेतु योग केन्द्र, योग साधना शिविर, योग साहित्य के विविध क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार हेतु कार्य करना।

10. आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार हेतु सरकारी, गैर सरकारी स्तर से किये जा रहे प्रयासों के समन्वय करते हुए कार्य करना।

11. रंगकर्म, लोककला, लोक नृत्य के क्षेत्र में सरकारी, गैर स्तर से किये जा रहे प्रयासों से समन्वय कर नाट्टय कला अकादमी, लोक कला अकादमी, सहित अन्य उत्सवों का आयोजन करना।

12. हस्त कला संवर्धन के क्षेत्र में कार्य करना।

13. प्रदेश स्तर पर परिवहन विभाग/निगम से समन्वय कर स्वयं सेवी संस्थाओं के लिए प्रदत्त सुविधाओं का लाभ जन सामान्य को देना। जैसे-याची विश्राम गृह, शौचालय, जलपान केन्द्र के क्षेत्र में कार्य करना।

14. मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक कल्याण आयोग, अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, किसान आयोग से समन्वय स्थापित कर सम्बन्धित आयोगों द्वारा जनहित में की जानी वाली गतिविधियों का आयोजन एवं प्रचार-प्रसार करना।

अकबर अली

शकीला बानो

स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम : जागरूकता नारी शक्तिमान उत्थान सेवा संस्थान
2. संस्था का पूरा पता : ग्राम व पोस्ट-बेलघाट बाजार, जिला-बस्ती।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था का मुख्य उद्‌देश्य : संस्था के निम्नलिखित उद्‌देश्य होगें-

1. साक्षरता अभियान के विविध पक्षो जैसे साक्षरता, उत्तर साक्षरता, सतत शिक्षा, साक्षरता केन्द्रों का संचालन, पठन-पाठन, प्रशिक्षण, वातावरण निर्माण, अनुश्रवण, मूल्यांकन हेतु स्रोत केन्द्र (संसाधन केन्द्र) की स्थापना करेगा।
2. भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित मानक अनुरूप जिला साक्षरता, सतत् शिक्षा कार्यक्रम के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण व मूल्यांकन का कार्य भी करना।
3. गीत, नाटक, कविता, कहानी, गद्य के विविध क्षेत्रों जैसे बाल, युवा, महिला, पुरूषों के लिए सृजनशील साहित्य का संकलन कर प्रचार-प्रसार करना।
4. स्वास्थ्य के क्षेत्र में पल्स पोलिया प्रतिरक्षण महाभियान, डी0बी0, कुष्ठ, एड्स जैसे रोगो के प्रति लोगो को जागरूक करते हुए टीकाकरण के महत्व को जन-जन तक पहुँचने का प्रयास करना।
5. कृषि कार्य, कृषि विकास, वर्मीकल्चर, दलहन, तिलहन, बायो डीजल, उन्नत कृषि संयत्रो, उन्नत बीजों के प्रचार-प्रसार सहित विविध पक्षो पर कार्य करना।
6. प्रदेश सरकार, भारत सरकार एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कृषि के क्षेत्र में ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जनपद मण्डल प्रदेश एवं देश के संचालित हर

15. युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु युवा कार्यक्रम खेल विभाग, नेहरू युवा केन्द्र युवा कल्याण विभाग सहित समस्त सरकारी/गैर सरकारी विभागों एवं संस्थाओं द्वारा संचालित कल्याणकारी, रोजगार परक रोमांचकारी गतिविधियों सहित समस्त कार्यक्रमों/योजनाओं के क्षेत्र में प्रचार करना।
16. युवाओ के सर्वांगीण विकास हेतु क्रीड़ा संकुल, क्रीड़ा विद्यालय उन्मुक्त क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्रो/शिविरो की स्थापना सहित बहुआयामी क्रीड़ागनो के निर्माण हेतु कार्य करना।
17. नगर विकास के अन्तर्गत मलिन बस्तियों में डूडा द्वारा संचालित समस्त गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु कार्य करना।
18. समाज के निर्बल एवं बेरोजगार लोगों के उत्थान हेतु उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु कार्य करना।
19. ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों का प्रचार-प्रसार करना।
20. सौर ऊर्जा के प्रचार-प्रसार हेतु कार्य करना।
21. बायो गैस के प्रचार-प्रसार हेतु कार्य करना।
22. खनन से होने वाली हानियों के बारे में जन जागरूक करने हेतु प्रचार-प्रसार करना।
23. पशुपालन के प्रचार-प्रसार, टीकाकरण, पशु स्वास्थ्य संवर्धन, पशु मेला नई नस्लो के पशुओं के बारे में जन सामान्य को जानकारी हेतु कार्य करना।
24. ग्रामीण व्यवस्था हेतु कार्य नियमान्तर्गत करना।
25. नगरीय आवासीय व्यवस्था हेतु कार्य नियमान्तर्गत करना।
26. कम लागत में भवन निर्माण हेतु प्रचार-प्रचार प्रशिक्षण पर्यवेक्षण निर्माण मूल्यांकन का कार्य करना।

5. संस्था के हितों के विरूद्ध कार्य करने पर।

7. संस्था के अंग : संस्था के मुख्यतः दो अंग होगें:-

अ) साधारण सभा।

ब) प्रबन्धकारिणी समिति।

रूपतारा देवी

अ) गठन : संस्था की साधारण सभा होगी। तमाम सदस्य मिलकर आमसभा का गठन करेगें। संस्था के सदस्य ही प्रबन्ध समितियों के सदस्यों का गठन करेगें।

मो० इसराइल

ब) बैठकें : साधारण सभा की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी, जिसमें संस्था का वार्षिक बजट रखा जायेगा तथा संस्था के अन्य बातों पर विचार किया जायेगा। साधारण सभा की बैठक आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाई जा सकती है।

स) सूचना अवधि : साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 10 दिन बाद दी जोयगी।

द) गणपूर्ति : साधारण सभा की गणपूर्ति उसके सदस्यों की संख्या का इक्यावन प्रतिशत होगी। दो बार स्थगित हो चुकी आम सभा के लिए गणपूर्ति के नियम लागू नहीं होगें।

य) साधारण सभा के कर्तव्य : साधारण सभा के निम्न कर्तव्य होगें।

1. संस्था की भलाई के लिए सदस्य संख्या बढ़ाना।
2. अपने स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संस्था की सदस्यता संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास करना।
3. संस्था के लिए धन और जन का सहयोग एकत्रित करना।
4. प्रबन्धकारिणी समिति सदस्यों का चयन करना।
5. प्रबन्धकारिणी समिति को सहयोग देना।
6. आय-व्यय पर विचार करना।
7. संस्था के लिए नियम, उपनियम आदि का निर्माण करना।

8. प्रबन्धकारिणी समिति : प्रबन्धकारिणी समिति का गठन निम्न प्रकार होगा:-

अ) गठन:-

1.	अध्यक्ष	एक
2.	उपाध्यक्ष	एक
3.	सचिव	एक

P.T.O.

रूपतारा देवी

मो० इसराइल

अकबर अली

नि० अ० जितेन्द्र कुमार

नि० अ० अंजुम निशा

नि० अ० हसीना बानू

नि० अ० शमेदुन निशा

नि० अ० आसिया खातून

मा-जूदेवी

शकीला बानो

27. स्वच्छता कार्यक्रमो से जुड़े परिवारों का चिकित्सीय परीक्षण एवं बहुआयामी विकास हेतु कार्य करना।

28. बाल विकास के क्षेत्र में बच्चो के सर्वांगीण विकास हेतु ग्राम, वार्ड, ब्लाक, तहसील, जिला स्तर पर बाल संरचना केन्द्रों की स्थापना कर इसके अन्तर्गत विद्यालय बाल पुस्तकालय, बाल सभा एवं विभिन्न बाल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।

29. गरीबी रेखा के नीचे एवं विषम परिस्थितियों में स्कूल छोड़ चुके बच्चो को समाज एवं शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए कार्य करना।

30. संस्था द्वारा गरीब व असहाय एवं निर्बल व्यक्तियों की सामाजिक सहायता करना तथा निःशुल्क शादी करवाना, संस्था द्वारा निःशुल्क गरीब व्यक्तियों का इलाज करवाया जाना, असहाय भूखे प्यासे व्यक्तियों को चयनित करके उनकी मदद संस्था द्वारा निःशुल्क सहायता करना, गरीब एवं असहाय बच्चों के लिए विद्यालय की स्थापना करना, उर्दू, अरबी, फारसी, हिन्दी, अंग्रेजी शिक्षण हेतु निःशुल्क बच्चो को शिक्षा दिया जाना एवं संस्था द्वारा लड़की, महिला का उत्पीड़न हेतु मदद करना तथा गरीब व्यक्तियों की अर्थी एवं क्रिया कर्म में मदद करना।

31. निराश्रित व असहाय महिलाओं को रोजगार दिलाना एवं उनके अधिकार व मान सम्मान की रक्षा करना।

P.T.O.

नियमावली

1. संस्था का नाम	:	जागरूकता नारी शक्तिमान उत्थान सेवा संस्थान
2. संस्था का पूरा पता	:	ग्राम व पोस्ट-बेलघाट बाजार, जिला-बस्ती।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र	:	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था की सदस्यता	:	इस संस्था में आजीवन, विशिष्ट, सामान्य एवं संरक्षक आदि सदस्य होगें जो निम्न प्रकार से होगें:-
आजीवन सदस्य	:	जो सदस्य संस्था को स्थापित करने का भार लेगें संस्था के आजीवन सदस्य होगें। सदस्यता शुल्क 10000/- होगी।
विशिष्ट सदस्य	:	केवल वार्षिक चन्दा देने वाले ही विशिष्ट सदस्य के रूप में मान्य होगें जिनकी सदस्यता शुल्क 1000/- होगी।
सामान्य सदस्य	:	सामान्य सदस्य का प्रवेश शुल्क 20/- तथा प्रतिमाह सदस्यता शुल्क 5/- होगा।
संरक्षक सदस्य	:	संस्था को जो भी व्यक्ति पालन-पोषण करेगें और उसका भार, तन, मन धन से उठायेगें। संस्था के संरक्षक होगें।
5. सदस्यता	:	इस संस्था के सदस्यता के लिए निम्न योग्यातायें होना आवश्यक है-

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. उसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो।
3. वह मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से योग्य हो।
4. वह देश समाज के हित में आस्था रखता हो।
5. संस्था के नियमों, उद्देश्यों मे अपनी पूर्ण आस्था रखता हो।
6. सदस्यता के किसी वर्ग में प्रवेश से पूर्व सम्बन्धित सदस्य की क्षमता योग्यता सहयोग की स्थिति का आंकन प्र0का0का0स0 द्वारा किया जायेगा।

6. सदस्यता की समाप्ति : कोई भी सदस्यता निम्न स्थितियों में संस्था का सदस्य नहीं रहेगा:-

1. उसकी [illegible] होने प[illegible]
2. [illegible] पन के कारण।

[illegible] देने पर।

O.

4. उप सचिव — एक

5. कोषाध्यक्ष — एक

6. सदस्यगण — एक

ब) बैठकें:- : संस्था के प्रबन्धकारिणवी समित की बैठक सामान्यतः (3 माह में बैठक होगी) आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाई जायेगी।

स) सूचना अवधि : प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की सूचना प्रत्येक सदस्य तक पहुंचाने के लिए कम से कम तीन दिन का समय अवश्य दिया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में एक दिन पहले भी सूचना दी जा सकती है।

द) गणपूर्तिः- : प्रबन्धकारिणी समिति के गणपूर्ति के लिए दो तिहाई सदस्य होगें।

य) रिक्त स्थानों की पूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्य या पदाधिकारी की रिक्ति किसी कारण से मृत्यु बाहर जाने का पद त्याग करने पर या निकालने या अन्य किसी कारण से होने पर प्रबन्धकारिणी समिति नये सदस्य का चुनाव कम से कम एक माह में कर लेगी।

र) कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

ल) प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य : प्रबन्धकारिणी समिति के निम्न कर्तव्य होगें:-

1. संस्था के विकास के लिए योजनायें बनाना व सतत प्रयास करना।
2. कार्यकारिणी की आम सहमति से रिक्त स्थान की पूर्ति करना।
3. समिति में जमा किया गया कोई भी सदस्यता शुल्क या चन्दा वापिस नहीं किया जायेगा।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य

अध्यक्ष :

1. समिति की बैठको के अध्यक्षता करना।
2. बैठको को करने के लिए दिनांक का अनुमोदन/प्रदान करना, परिवर्तन करना तथा अन्य लेखों पर हस्ताक्षर करना।
3. संस्थ... में धन ... पने पास व्यय के लिए ...

... सचिव

10. संस्था के समस्त अभिलेखों को संस्था के हितार्थ सुरक्षित रखना।

उपसचिव :
1. सचिव की अनुपस्थिति में या उसके कर्तव्यों का पालन करना।
2. ऐसे समस्त अधिकारों का प्रयोग करना तथा कर्तव्यों का पालन करन जो सचिव द्वारा लिखित हो या सौंपें गये हो।

कोषाध्यक्ष :
1. प्रबन्ध समिति के सचिव के साथ संयुक्त रूप से संस्था के लेखों का संचालन करना।
2. प्राधिकृत व्यय के लिए भुगतान की जाने वाली धनराशियों की सिफारिश अध्यक्ष व सचिव से करना।
3. समस्त आय एवं व्यय का वार्षिक विवरण तैयार करना।

10. संस्था के अभिलेख :

1. <u>सदस्यता रजिस्टर</u>
   इसके अन्तर्गत साधारण सभा सदस्य, कार्यकारिणी आदि का ब्यौरा होगा।
2. <u>कार्यवाही रजिस्टर</u>
   प्रबन्धकारिणी समिति व साधारण सभा की समस्त बैठको की कार्यवाही अंकित होगी।
3. <u>स्टाक रजिस्टर</u>
   इस रजिस्टर में समस्त संस्था रजिस्टर, संस्था सामग्री, फर्नीचर आदि का ब्यौरा होगा व संस्था में आने वाली प्रत्येक सामग्री का विवरण स्टाक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा।
4. <u>कैश बुक</u>
   आय-व्यय, चन्दा, धन आदि का विवरण दिनवार, माहवार, कैश बुक में अंकित होगा।
5. इसके अतिरिक्त संस्था के लाभार्थ अन्य रजिस्टर या फाइल समय परिस्थिति के अनुसार खोली जा सकती है, जिसका क्रमांक या विवरण स्टाक रजिस्टर में होगा।

11. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया : संस्था के नियमों-विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा द्वारा दो तिहाई बहुमत से की जायेगी।

12. संस्था का कोष : क) संस्था को कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में

P.T.O.

रखा जायेगा जिसका संचालन संस्था के सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

ख) प्रबन्धकारिणी समिति की सर्वसम्मति से सचिव अथवा कोषाध्यक्ष में किसी एक के तन्हा हस्ताक्षर से भी कोष का संचालन किया जा सकेगा।

13. **कानूनी कार्यवाही** : संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाही सचिव के द्वारा की जायेगी।

14. **संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण** : संस्था के आय-व्यय का वार्षिक आडिट मनोनीत सदस्य अथवा सी0ए0 द्वारा कराया जायेग, जो कि पहली अप्रैल से इक्कीस मार्च तक होगा।

15. **विघटन** : संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायइटीज रजिस्टर एक्ट 1860 की धारा 13 व 14 के अनुसार की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

दिनांक ....

रूपतारा देवी

मो० इसराईल

Anand Kashyap
रूपतारा देवी
[illegible]
मो० इसराइल
उपाध्यक्ष

की सलाह से यदि बहुत आवश्यकता है तो स्वयं कोई भी कार्य संस्था के हित में करना।

5. ऐसे अन्य अधिकारों का उपयोग करना और अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो इस संस्था के हित में हो।

6. संस्था के लिए चन्दा या धन या सम्पत्ति चल या अचल संस्था के नाम पर ग्रहण करना जो संस्था के हित के लिए हो।

उपाध्यक्ष : क) अध्यक्ष की अनुमति में या उसके अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होने पर अध्यक्ष के रूप में कार्य करना।

ख) ऐसे समस्त अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करना जो अध्यक्ष द्वारा उसके लिखित रूप में सौंपें गये हो।

ग) अन्य कोई भी कार्य स्वविवेक से करना जो संस्था, समाज, देश हित में हो कर सकता है।

सचिव : 1. संस्था के लिए किसी भी प्रकार का धन, चन्दा, सम्पत्ति आदि एकत्र करना।

2. समिति के सिद्धान्तों के अधीन रहते हुए संस्था का हित में कार्य करना।

3. बजट में की गयी व्यवस्था के अनुसार वित्त पर नियंत्रण करना।

4. बैठक की समस्त कार्यवाही लिखना एवं उसकी संचालन करना।

5. विश्व शान्ति विकास संस्थान के विस्तार एवं लाभार्थ हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों, पदाधिकारियों आदि से पत्र व्यवहार करना।

6. प्र0का0का0स0 एवं साधारण सभा के सचिव के रूप में सभी कार्य करना।

7. संस्था के हितार्थ समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना।

8. प्रत्येक स्तर के स्थानीय संयोजको के मनोनयन, मानदेय का निर्धारण करना।

9. किसी भी स्तर के मनोनीत पदाधिकारी के दायित्व का निर्धारण ...रना साथ ही साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही वादो को देखना।

सेवा में,

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसायटीज एवं चिट्स,
जनपद–गोरखपुर उ0प्र0

विषय– संस्था की अनुमति/नवीनीकरण करवाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है **जागरूकता नारी शक्तिमान उत्थान सेवा संस्थान ग्राम व पो0 बेलघाट जिला बस्ती** नामक संस्था का नवीनीकरण करवाना चाहता हूं संस्था का प्रमाण पत्र मिल नही रहा था इसलिए समय से नवीनीकरण नही करवाया जा सका अब इससे सम्बन्धित समस्त प्रपत्र/बैलेन्स सीट तैयार कराकर अनुमति शुल्क व निर्धारित शुल्क के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त नामक संस्था से सम्बन्धित समस्त प्रपत्र जमा करके नवीनीकरण हेतु अनुमति प्रदान करके नवीनीकरण करके नवीनीकरण प्रमाण–पत्र जारी करने की कृपा करे।

पत्रावली सं0–जी 43371 **प्रार्थी**

संलग्नक–

सचिव
नजमा खातून
जागरूकता नारी शक्तिमान उत्थान सेवा संस्थान ग्राम व पो0 बेलघाट जिला बस्ती

- मूल प्रमाण –पत्र
- नोटरी शपथ–पत्र
- आधार कार्ड की छाया प्रति
- कार्य विवरण आख्या
- कार्यवाही की पुष्टि
- चुनाव की कार्यवाही
- साधारण सभा की सूची वर्ष 2024–2025तक
- प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष 2021–2022 से 2024–2025 तक
- बैलेन्स सीट वर्ष 2021–2022 से 2024–2025

मो. इसराइल
[illegible]
[illegible]

कार्यवाही की पुष्टि

आज दिनांक ....को पूर्व सूचना के अनुसार साधारण सभा की एक बैठक जागरूकता नारी शक्तिमान उत्थान सेवा संस्थान ग्राम व पो0 बेलघाट जिला बस्ती नामक संस्था के प्रांगण में अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में दिन के 2.00 बजे सम्पन्न की गई कोरम पूरा रहा कार्यवाही प्रारम्भ की गई–

प्रस्ताव सं0–1

पिछली कार्यवाही की पुष्टि पर पर विचार–

अध्यक्ष महोदय ने पिछली कार्यवाही दिनांक 10.09.2023 की कार्यवाही को पढकर सुनाया जिसकी पुष्टि सर्व सम्मति से सभी उपस्थित लोगों ने किया।

अन्य कोई प्रस्ताव न आने के कारण बैठक की कार्यवाही सर्व सम्मति से समाप्त की गई।

मो० इसराइल

चुनाव की कार्यवाही

आज दिनांक 10.09.2023 को पूर्व सूचना के अनुसार साधारण सभा की एक बैठक **जागरूकता नारी शक्तिमान उत्थान सेवा संस्थान ग्राम व पो0 बेलघाट जिला बस्ती** संचालित संस्था के प्रांगण में साय 4.00 बजे अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न की गई कोरम पूरा रहा कार्यवाही प्रारम्भ की गई–

प्रस्ताव सं0–1

पिछली कार्यवाही की पुष्टि पर विचार

अध्यक्ष महोदय ने पिछली कार्यवाही को पढकर सुनाया जिसकी पुष्टि सर्व सम्मति से सभी उपस्थित लोगों ने किया।

प्रस्ताव सं–2

प्रबन्ध समिति के चयन पर विचार–

अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव रखा कि प्रबन्ध समिति का कार्यकाल पूरा हो गया है इसलिए प्रबन्ध समिति का चुनाव कराना अति आवश्यक हो गया है तथा यह भी प्रस्ताव रखा गया की सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल आज तक संतोषजनक रहा है एसलिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर पूर्ववत बने रहेगें जिसका समर्थन सभी उपस्थित लोगों नें किया तथा उक्त प्रस्ताव पारित कर दिया गया

अन्य कोई प्ररताव न आने के कारण बैठक की कार्यवाही सर्व सम्मति से समाप्त की गई।

रूकता नारी शक्तिमान उत्थान सेवा संस्थान ग्राम व पो0 बेलघाट जिला बस्ती प्र0 की प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष..........2024–2025

क्र0सं0	नाम / पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
	श्री इकबाल अहमद पुत्र श्री अब्दुल रज्जाक	ग्राम व पो0 बेलघाट बाजार वि0ख0 गौर जनपद बस्ती	अध्यक्ष	समाजसेवा
	श्री मो0 इसराईल पुत्र श्री बताने	ग्राम व पो0 बेलघाट बाजार वि0ख0 गौर जनपद बस्ती	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
	श्रीमती नजमा खातून पत्नी श्री नियाज अहमद	ग्राम व पो0 बेलघाट बाजार वि0ख0 गौर जनपद बस्ती	सचिव	गृहणी
	श्री अशफाक हुसैन पुत्र श्री इल्ताफ हुसैन	ग्राम व पो0 बेलघाट बाजार वि0ख0 गौर जनपद बस्ती	उपसचिव	गृहणी
	श्रीमती जैबुन निशा पत्नी श्री इकबाल अहमद	ग्राम व पो0 बेलघाट बाजार वि0ख0 गौर जनपद बस्ती	कोषाध्यक्ष	गृहणी
	श्रीमती सकीला बानो पत्नी श्री बर्सीफ	ग्राम भटगवा पो0 हल्लौर जनपद बस्ती	सदस्य	गृहणी
7.	श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री कादिर	ग्राम व पो0 बेलघाट जनपद बस्ती	सदस्य	कृषि
8.	श्रीमती हमिद्दन पत्नी श्री मोहम्मद उमर	ग्राम व पो0 बेलघाट जनपद बस्ती	सदस्य	गृहणी
9.	श्रीमती आशिया खातून पत्नी श्री इल्ताफ हुसैन	ग्राम व पो0 बेलघाट जनपद बस्ती	सदस्य	गृहणी
10.	श्री अकबर अली पुत्र श्री उस्मान	ग्राम पाकडडाड पो0 महसो जनपद बस्ती	सदस्य	गृहणी
11.	श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री कन्हैयालाल	ग्राम व पो0 बेलघाट बस्ती	सदस्य	गृहणी
12.	श्रीमती हसीना खातून पत्नी श्री अब्दुल कलाम	ग्राम व पो0 बेलघाट बस्ती	सदस्य	गृहणी

Iqbal Ahmad

मो0 इसराइल

Ashfaq

जैबुन निशा

Annexure A

सत्यमेव जयते

GSTIN	09BUZPA0003M4ZF
Legal Name	IKBAL AHAMAD
Trade Name, if any	M/S AHAMAD TENT HOUSE

Details of Additional Places of Business

Total Number of Additional Places of Business in the State 0

…तमान उत्थान सेवा संस्थान ग्राम व पो0 बेलघाट जिला बस्ती

0प्र0 की प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष.........2021—2022

क0सं0	नाम / पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री इकबाल अहमद पुत्र श्री अब्दुल रज्जाक	ग्राम व पो0 बेलघाट बाजार वि0ख0 गौर जनपद बस्ती	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	श्री मो0 इसराईल पुत्र श्री बताने	ग्राम व पो0 बेलघाट बाजार वि0ख0 गौर जनपद बस्ती	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3.	श्रीमती नजमा खातून पत्नी श्री नियाज अहमद	ग्राम व पो0 बेलघाट बाजार वि0ख0 गौर जनपद बस्ती	सचिव	गृहणी
4.	श्री अशफाक हुसैन पुत्र श्री इल्ताफ हुसैन	ग्राम व पो0 बेलघाट बाजार वि0ख0 गौर जनपद बस्ती	उपसचिव	गृहणी
5.	श्रीमती जैबुन निशा पत्नी श्री इकबाल अहमद	ग्राम व पो0 बेलघाट बाजार वि0ख0 गौर जनपद बस्ती	कोषाध्यक्ष	गृहणी
6.	श्रीमती सकीला बानो पत्नी श्री बर्सीफ	ग्राम भटगवा पो0 हल्लौर जनपद बस्ती	सदस्य	गृहणी
7.	श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री कादिर	ग्राम व पो0 बेलघाट जनपद बस्ती	सदस्य	कृषि
8.	श्रीमती हमिद्दन पत्नी श्री मोहम्मद उमर	ग्राम व पो0 बेलघाट जनपद बस्ती	सदस्य	गृहणी
9.	श्रीमती आशिया खातून पत्नी श्री इल्ताफ हुसैन	ग्राम व पो0 बेलघाट जनपद बस्ती	सदस्य	गृहणी
10.	श्री अकबर अली पुत्र श्री उस्मान	ग्राम पाकडडाड पो0 महसो जनपद बस्ती	सदस्य	गृहणी
11.	श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री कन्हैयालाल	ग्राम व पो0 बेलघाट बस्ती	सदस्य	गृहणी
12.	श्रीमती हसीना खातून पत्नी श्री अब्दुल कलाम	ग्राम व पो0 बेलघाट बस्ती	सदस्य	गृहणी

[illegible]

मो0 इसराइल

[illegible]

जैबुन निशा

	b. The form for approval in Form No. 10A has been duly filled in by providing all the information or document and no false or incorrect information or documents have been provided.	
	c. The institution or fund shall apply for approval within 6 months of commencement of the activities or at least 6 months prior to the expiry of period of provisional approval, whichever is earlier.	
	d. The registration granted under section 12AB or approval granted under clause (23C) of section 10 has not been cancelled by the Principal Commissioner or Commissioner as authorised by the Board for non-compliance of conditions mentioned in rule 2C or rule 17A of the Income- tax Rules, 1962.	
	Name and Designation of the Approving Authority	Principal Commissioner of Income Tax/ Commissioner of Income Tax (Digitally signed)

INCOME TAX DEPARTMENT

Signature Not Verified

Digitally signed by
SIBICHEN K MATHEW
Date: 2022.06.22
23:12:55 IST

नियम 8(2) देखिये

[illegible]-5098 दिनांक 21/3/25

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

नवीनीकरण संख्या [illegible]/2024-25 पत्रावली संख्या जी-43371

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **जागरूकता नारी शक्तिकरण उत्थान सेवा संस्थान, ग्राम व पोस्ट- बेलघाट, जनपद-बस्ती,उ०प्र०।** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या- 1062/2008-2009 दिनांक 19/09/2008 को दिनांक 19/09/2023 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया हैं।

3000.00 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी हैं।

जारी करने का दिनांक–21.03.2025

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश

21/3/25

[illegible] प्रमाणपत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधिपूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में [illegible] से किसी आवेदक, प्रबंध समिति अथवा किसी अन्य संबद्ध/असम्बद्ध व्यक्ति के किसी दावे, [illegible] नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में [illegible] को केवल संस्था हित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा।

FORM NO. 10AC

(See rule 17A/11AA/2C)

Order for provisional approval

1	PAN	AAGAJ1930P
2	Name	JAGRUKTA NARI SHAKTIMAN UTTHAN SEVA SANSTHAN
2a	Address	
	Flat/Door/Building	Belghat
	Name of premises/Building/Village	
	Road/Street/Post Office	Basti H.O
	Area/Locality	Police line
	Town/City/District	BASTI
	State	Uttar Pradesh
	Country	INDIA
	Pin Code/Zip Code	272001
3	Document Identification Number	AAGAJ1930PF2022101
4	Application Number	636947380280522
5	Unique Registration Number	AAGAJ1930PF20221
6	Section/sub-section/clause/sub-clause/proviso in which provisional approval is being granted	12-Clause (iv) of first proviso to sub-section (5) of section 80G
7	Date of provisional approval	22-06-2022
8	Assessment year or years for which the trust or institution is provisionally approved	From 22-06-2022 to AY 2025-2026
9	Order for provisional approval:	
	a. After considering the application of the applicant and the material available on record, the applicant is hereby granted provisional approval with effect from the assessment year mentioned at serial no 8 above subject to the conditions mentioned in row number 10.	
	b. The taxability, or otherwise, of the income of the applicant would be separately considered as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.	
	c. This order is liable to be withdrawn by the prescribed authority if it is subsequently found that the activities of the applicant are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it is granted, if it is found that the applicant has obtained the provisional approval by fraud or misrepresentation of facts or it is found that the assessee has violated any condition prescribed in the Income Tax Act, 1961.	
10	The approval is granted subject to the following conditions:-	
	a. The registration granted under section 12AB or approval granted under clause	

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

Sep 10, 2025

Ref.No.: 19412470075784/TAN/NEW

TO,
JAGRUKTA NARI SHAKTIMAN UTTHAN SEVA SANSTHAN
BELGHAT BAZAR
BELGHAT
BASTI-272163
UTTAR PRADESH
TEL. NO.:8299893617

Sir/Madam,

Sub : Allotment of Tax Deduction Account Number (TAN) as per Income Tax Act,1961

Kindly refer to your application (Form 49B) dated Sep 06, 2025 for the allotment of Tax Deduction Account Number.

In this connection, the following TAN has been issued to you/your organisation:

LKNJ08819G

Please quote the same in all TDS challans,TDS Certificates,TDS returns,Tax Collection at Source(TCS) returns as well as other documents pertaining to such transactions.

Quoting of TAN on all TDS returns and challans for payment of TDS is necessary to ensure credit of TDS paid by you and faster processing of TDS returns.

The above TAN should also be used as Tax Collections at Source Account Number under section 206CA.

Kindly note that it is mandatory to quote TAN while furnishing TDS returns, including e-TDS returns. e-TDS returns will not be accepted if TAN is not quoted.

This supersedes all the Tax Deduction / Collection Account Number, alloted to you earlier.

Income Tax Department

Signature Not Verified
Digitally signed by Protean on behalf of Income Tax Deptt.
Date: 2025.09.10 0?:54:56 GMT+05:30

Caution : Income Tax Department does not send e-mails regarding refunds and does not seek any taxpayer information like username, password, details of ATM, bank accounts, credit cards, etc. Taxpayers are advised not to part with such information on the basis of emails.

सत्यमेव जयते

Annexure B

GSTIN	09BUZPA0003M4ZF
Legal Name	IKBAL AHAMAD
Trade Name, if any	M/S AHAMAD TENT HOUSE

Details of Proprietor

1

Name	IKBAL AHAMAD
Designation/Status	Proprietor
Resident of State	Uttar Pradesh

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

Dated : 16-12-2022

NOTE - THIS LETTER IS ONLY AN APPROVAL FOR REGISTRATION OF THE ENTITIES FOR UNDERTAKING CSR ACTIVITIES.

To,
JAGRUKTA NARI SHAKTIMAN UTTHAN SEVA SANSTHAN , GRAM AND POST-BELGHAT,,basti,UP16,UP,272163

PAN : AAGAJ1930P

Subject: In Reference to Registration of Entities for undertaking CSR activities
Reference: Your application dated 16-12-2022 (SRN-F53424784)

Sir/Madam,

With reference to the above, it is informed that the entity has been registered for undertaking CSR activities and the Registration number is CSR00043150. Please refer the registration number for any further communication.

Registrar of Companies

ROC-DELHI

Note: The corresponding form has been approved and this letter has been digitally signed through a system generated digital signature.

सत्यमेव जयते

Government of India
Form GST REG-06
[See Rule 10(1)]

Registration Certificate

Registration Number : 09BUZPA0003M4ZF

1.	**Legal Name**	IKBAL AHAMAD			
2.	**Trade Name, if any**	M/S AHAMAD TENT HOUSE			
3.	**Constitution of Business**	Proprietorship			
4.	**Address of Principal Place of Business**	BELGHAT, HARRAIYA, BASTI, Basti, Uttar Pradesh, 272155			
5.	**Date of Liability**	02/09/2021			
6.	**Period of Validity**	From	02/09/2021	To	Not Applicable
7.	**Type of Registration**	Regular			
8.	**Particulars of Approving Authority**	Uttar Pradesh			

Signature

Signature Not Verified
Digitally signed by DS GOODS AND SERVICES TAX NETWORK(4)
Date: 2021.09.03 12:30:26 IST

Name	Shrawan Kumar
Designation	Assistant Commissioner
Jurisdictional Office	Basti Sector-2
9. Date of issue of Certificate	03/09/2021

Note: The registration certificate is required to be prominently displayed at all places of business in the State.

This is a system generated digitally signed Registration Certificate issued based on the approval of application granted on 03/09/2021 by the jurisdictional authority.

जागरूकता नारी शक्तिमान उत्थान सेवा संस्थान ग्राम व पो0 बेलघाट जिला बस्ती उ0प्र0 की साधारण सभा की सूची वर्ष..........2024—2025

क्र0सं0	नाम / पिता का नाम	पता
1	श्री इकबाल अहमद पुत्र श्री अब्दुल रज्जाक	ग्राम व पो0 बेलघाट बाजार वि0ख0 गौर जनपद बस्ती
2.	श्री मो0 इसराईल पुत्र श्री बताने	ग्राम व पो0 बेलघाट बाजार वि0ख0 गौर जनपद बस्ती
3.	श्रीमती नजमा खातून पत्नी श्री नियाज अहमद	ग्राम व पो0 बेलघाट बाजार वि0ख0 गौर जनपद बस्ती
4.	श्री अशफाक हुसैन पुत्र श्री इल्ताफ हुसैन	ग्राम व पो0 बेलघाट बाजार वि0ख0 गौर जनपद बस्ती
5.	श्रीमती जैबुन निशा पत्नी श्री इकबाल अहमद	ग्राम व पो0 बेलघाट बाजार वि0ख0 गौर जनपद बस्ती
6.	श्रीमती सकीला बानो पत्नी श्री बर्सीफ	ग्राम भटगवा पो0 हल्लौर जनपद बस्ती
7.	श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री कादिर	ग्राम व पो0 बेलघाट जनपद बस्ती
8.	श्रीमती हमिद्दन पत्नी श्री मोहम्मद उमर	ग्राम व पो0 बेलघाट जनपद बस्ती
9.	श्रीमती आशिया खातून पत्नी श्री इल्ताफ हुसैन	ग्राम व पो0 बेलघाट जनपद बस्ती
10.	श्री अकबर अली पुत्र श्री उस्मान	ग्राम पाकडडाड पो0 महसो जनपद बस्ती
11.	श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री कन्हैयालाल	ग्राम व प्रो0 बेलघाट बस्ती
12.	श्रीमती हसीना खातून पत्नी श्री अब्दुल कलाम	ग्राम व पो0 बेलघाट बस्ती

मो. इसराईल

जैबुन निशा

कार्य विवरण (आख्या)

जागरूकता नारी शक्तिमान उत्थान सेवा संस्थान ग्राम व पो0 बेलघाट जिला बस्ती नामक संस्था द्वारा समाजिक /शैक्षणिक कार्यो का संचालन किया जाता है।

हस्ताक्षर–

1. [illegible]

2. मो० इसराईल

3. [illegible]

4. जैबुननिशा

...कता नारी शक्तिमान उत्थान सेवा संस्थान ग्राम व पो0 बेलघाट जिला बस्ती ...0 की प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष..........2023—2024

क्र0सं0	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री इकबाल अहमद पुत्र श्री अब्दुल रज्जाक	ग्राम व पो0 बेलघाट बाजार वि0ख0 गौर जनपद बस्ती	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	श्री मो0 इसराईल पुत्र श्री बताने	ग्राम व पो0 बेलघाट बाजार वि0ख0 गौर जनपद बस्ती	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3.	श्रीमती नजमा खातून पत्नी श्री नियाज अहमद	ग्राम व पो0 बेलघाट बाजार वि0ख0 गौर जनपद बस्ती	सचिव	गृहणी
4.	श्री अशफाक हुसैन पुत्र श्री इल्ताफ हुसैन	ग्राम व पो0 बेलघाट बाजार वि0ख0 गौर जनपद बस्ती	उपसचिव	गृहणी
5.	श्रीमती जैबुन निशा पत्नी श्री इकबाल अहमद	ग्राम व पो0 बेलघाट बाजार वि0ख0 गौर जनपद बस्ती	कोषाध्यक्ष	गृहणी
6.	श्रीमती सकीला बानो पत्नी श्री बर्सीफ	ग्राम भटगवा पो0 हल्लौर जनपद बस्ती	सदस्य	गृहणी
7.	श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री कादिर	ग्राम व पो0 बेलघाट जनपद बस्ती	सदस्य	कृषि
8.	श्रीमती हमिद्दन पत्नी श्री मोहम्मद उमर	ग्राम व पो0 बेलघाट जनपद बस्ती	सदस्य	गृहणी
9.	श्रीमती आशिया खातून पत्नी श्री इल्ताफ हुसैन	ग्राम व पो0 बेलघाट जनपद बस्ती	सदस्य	गृहणी
10.	श्री अकबर अली पुत्र श्री उस्मान	ग्राम पाकडडाड पो0 महसो जनपद बस्ती	सदस्य	गृहणी
11.	श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री कन्हैयालाल	ग्राम व पो0 बेलघाट बस्ती	सदस्य	गृहणी
12.	श्रीमती हसीना खातून पत्नी श्री अब्दुल कलाम	ग्राम व पो0 बेलघाट बस्ती	सदस्य	गृहणी

मो इसराइल

जैबुन निशा

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों के नाम, पता, पद तथा व्यवसाय जिनकी एक नियमानुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है।

क्र0सं0	नाम व पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री इकबाल अहमद पुत्र श्री अब्दुल रज्जाक	ग्राम व पो0 बेलघाट बाजार, वि0ख0 गौर, जनपद-बस्ती	अध्यक्ष	समाज सेवक
2	श्री श्याम लाल पुत्र बताने	ग्राम बैदोलिया अजायब, पो0 बेलघाट, जिला-बस्ती	उपाध्यक्ष	समाज सेवक
3	श्री पन्ना लाल पुत्र श्री राम कुमार	ग्राम व पो0 बेलघाट बाजार, वि0ख0 गौर, जनपद-बस्ती	सचिव	समाज सेवक
4	श्रीमती नाजमा खातून पत्नी श्री नियाज अहमद	” ” ”	उपसचिव	गृहणी
5	श्रीमती रूपतारा पत्नी श्री रामप्रसाद	” ” ”	कोषाध्यक्ष	गृहणी
6	मो0 इस्माईल पुत्र श्री अब्दुल रज्जाक	” ” ”	सदस्य	व्यापार
7	श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम कुमार	” ” ”	सदस्य	कृषि
8	श्रीमती हमिददननिशां पत्नी श्री मोहम्मद उमर	” ” ”	सदस्य	गृहणी
9	श्रीमती आशिया खातून पत्नी श्री इलताफ हुसैन	” ” ”	सदस्य	गृहणी
10	श्रीमती जैबुल निशा पत्नी श्री इकबाल अहमद	” ” ”	सदस्य	गृहणी
11	कमला देवी पुत्री श्री राज कुमार	” ” ”	सदस्य	गृहणी
12	श्रीमती निर्मल देवी पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार	” ” ”	सदस्य	गृहणी

(5)

21– गरीबी रेखा से नीचे एवं विषम परिस्थितियों में स्कूल छोड़ चुके बच्चों को समाज एंव शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए कार्य करना।

22– संस्था द्वारा गरीब असहाय एव निर्बल व्यक्तियों की को [illegible] सामाजिक सहायता करना तथा निःशुल्क शादी करवाना, संस्था द्वारा निःशुल्क गरीब व्यक्तियों का इलाज करवाया जाना, असहाय भूखे प्यासे व्यक्तियों को चयनित करके उनकी मदद संस्था द्वारा निःशुल्क सहायता करना, गरीब एवं असहाय बच्चों के लिए विद्यालय की स्थापना करना, उर्दू, अरबी, फारसी, हिन्दी, अंग्रेजी शिक्षण हेतु निःशुल्क बच्चों को शिक्षा दिया जाना एवं संस्था द्वारा लड़की, महिला का उत्पीड़न हेतु मदद करना तथा गरीब व्यक्तियों की अर्थी एवं क्रिया कर्म में मदद करना।

23– निराश्रित व असहाय महिलाओं को रोजगार दिलाना एव उनके अधिकार व मान सम्मान की रक्षा करना

कमाल अहमद

पन्नालाल पटेल

सुरेन्द्र कुमार

श्याम लाल

मो० इस्राईल

रूपतारा देवी

उर्मिला देवी

कमला देवी

अ० नि० नासिमा खातून

अ० नि० हमिदुन्निशा

अ० नि० जैतून निशा

अ० नि० आशिया खातून

केन्द्रीय कार्यालय सहायक निबंधक समितियां उत्तर प्रदेश, गोरखपुर

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

(2)

8– सूचना प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों जैसे कम्प्यूटर साक्षरता, इन्टरनेट, ई–मेल सहित अन्य तकनीकियों के प्रचार प्रचार प्रशिक्षण हेतु कार्य करना।

9– योग के प्रचार प्रसार हेतु ~~[illegible]~~ योग केन्द्र, ~~[illegible]~~ योग साधना शिविर, योग सहित्य के विविध क्षेत्रों में प्रचार प्रसार हेतु कार्य करना।

10– आयुर्वेद के प्रचार प्रसार हेतु सरकारी, गैर सरकारी स्तर से किये जा रहे प्रयासो के समन्वय करते हुए कार्य करना। ~~इसके अन्तर्गत आनन्द आयुर्वेद अभिमुखीकरण केन्द्रों की स्थापना करना।~~

11– रंगकर्म, लोककला, लोक नृत्य के क्षेत्र में सरकारी, गैर स्तर से किये जा रहे प्रयासों से समन्वय कर नाटय कला अकादमी, लोक कला अकादमी, सहित अन्य उत्सवों का आयोजन करना।

12– हस्त कला संवर्धन के क्षेत्र में कार्य करना।

13–प्रदेश स्तर पर परिवहन विभाग/निगम से समन्वय कर स्वयं सेवी संस्थाओं के लिए प्रदत्त सुविधाओं का लाभ जन सामान्य को देना। जैसे–यात्री विश्राम गृह, शौचालय, जलपान केन्द्र आदि के क्षेत्र में कार्य करना।

14– मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, पिछडा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक कल्याण आयोग, अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, किसान आयोग से समन्वय स्थापित कर सम्बन्धित आयोगो द्वारा जनहित में की जाने वाली गतिविधियों का आयोजन एवं प्रचार प्रसार करना।

15– युवाओं के सर्वागीण विकास हेतु युवा कार्यक्रम खेल विभाग, नेहरू युवा केन्द्र युवा कल्याण विभाग सहित समस्त सरकारी/गैर सरकारी विभागों एवं संस्थाओं द्वारा संचालित कल्याणकारी, रोजगार परक, रोमांचकारी गतिविधियों सहित समस्त कार्यक्रमो/योजनाओं के क्षेत्र में ~~कार्य~~ उन्नयन करना।

इकबाल अहमद

पन्नालाल पेटल

सुरेन्द्र कुमार

उर्मिला देवी

श्यामलाल

मो इस्राइल

रूपतारा देवी

कमला देवी

अ० नि० नाजिमा खातून

अ० नि० गुलशन निशा

अ० नि० हामिदुन्निशां

अ० नि० आसिया खातून

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर

(6)

4– कैश बुकः–
आय व्यय चन्दा, दान आदि का विवरण दिनवार, माहवार कैश बुक में अंकित होगा।

5– इसके अतिरिक्त संस्था के लाभार्थ अन्य रजिस्टर या फाइल समय परिस्थिति के अनुसार खोली जा सकती है। जिसका क्रमांक या विवरण स्टाक रजिस्टर में होगा।

11-	संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया	: संस्था के नियमों–विनियमों में संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा द्वारा दो तिहाई बहुमत से की जायेगी।
12-	संस्था का कोष	: (क) संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक अथवा डाकघर में रखा जायेगा जिसका संचालन संस्था के सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। (ख) प्रबन्धकारिणी समिति की सर्वसम्मति से सचिव अथवा कोषाध्यक्ष में से किसी एक के तन्हा हस्ताक्षर से भी कोष का संचालन किया जा सकेगा।
13-	कानूनी कार्यवाही	: संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाही सचिव के द्वारा की जायेगी।
14-	संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण	: संस्था के आय व्यय का वार्षिक आडिट मनोनीत सदस्य अथवा सी०ए० द्वारा कराया जायेगा। जोकि पहली अप्रैल से इकतीश मार्च तक का होगा।
15-	विघटन	: संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 13 व 14 के अनुसार की जायेगी।

सत्य – प्रतिलिपि
04.2.10
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर
04/2/10

दिनांक 1/1/08

पन्नालाल पटेल
श्याम लाल
रूपतारा देवी

सत्य प्रतिलिपि

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता
04/2/10

अ०ति ... नाजर

ख 'प्रारूप-'
नियम 8(2) देखिए

संख्या -5098 दिनांक 21/3/25

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

नवीनीकरण संख्या 809 [illegible] 2024-25 पत्रावली संख्या जी-43371

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **जागरूकता नारी शक्तिमान उत्थान सेवा संस्थान, ग्राम व पोस्ट- बेलघाट, जनपद-बस्ती,उ0प्र0।** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या- 1062/2008-2009 दिनांक 19/09/2008 को दिनांक 19/09/2023 से पॉच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

3000.00 रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी हैं।

जारी करने का दिनांक-21.03.2025

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश

21/3/25

नोट-यह नवीनीकरण प्रमाणपत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधिपूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में मान्य है। इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र से किसी आवेदक , प्रबंध समिति अथवा किसी अन्य संस्था से असम्बद्ध, व्यक्ति के किसी दावे, अधिकार , अनुतोष अथवा मान्यता की पुष्टि नहीं होती है तथा इन प्रयोजनों हेतु इस नवीनीकरण प्रमाणपत्र का प्रयोग किसी न्यायालय में मान्य नही हैं। इस प्रमाण पत्र को केवल संस्था हित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में यह पठनीय नहीं होगा।